



सीमाशुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क व सेवा कर आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS, CENTRAL EXCISE & SERVICE TAX
हैदराबाद । आयुक्तालय HYDERABAAD । COMMISSIONERATE
केंद्रीय शुल्क भवन, एल बी स्टेडियम रोड, बशीर बाग, हैदराबाद-500 004
KENDRIYA SHULK BHAVAN, L B STADIUM ROAD, BASHEER BAGH, HYDERABAAD-500004
☎ - 040-23212072 (Telefax)

तारीख Date : 28.09.2011

व्यापार सूचना Trade Notice No.08/2011

सामान्य General No.08/2011 (ACES)

विषय: ए सी ई एस- केन्द्रीय उत्पाद व सीमाशुल्क में ओटोमेशन- हैदराबाद । आयुक्तालय-संबन्धित
Sub: ACES- Automation in Excise and Service Tax-Hyderabad-I
Commissionerate. - Reg.

*** **

व्यापारियों को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क व सेवा कर ओटोमेशन सॉफ्टवेयर (ACES) के बारे में सूचित करते हुए व्यापार सूचना सं. 4/2009- सामान्य सं. 4/2009 दिनांक 14.09.2009 को जारी किया गया था। एसेस एप्लिकेशन उपभोक्ता को ऑन लाइन पंजीकरण करने, सांविधिक विवरणी प्रस्तुत करने, दावा करने, सूचित करने और अनुमति लेने, उनके कागजात की स्थिति को देखने और पता करने की सुविधा प्रदान करती है। उपर्युक्त के अलावा, धन वापसी के अनुरोध, निर्यात, अनंतिम मूल्यांकन और विवाद निवारण की सुविधा भी आरंभ किया गया है।

Trade Notice No.04/2009 - General No.4/2009 dated 14.09.2009 was issued by this office intimating the trade on the software application called Automation of Central Excise & Service Tax (ACES). ACES application enables users to take registration online, electronically file statutory returns, claims, intimations and permissions, view and track the status of their documents online. In addition to above, requests for refunds, exports, provisional assessment, and dispute resolution are also made operational.

02. इस संबंध में व्यापारियों को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय शुल्क व सीमाशुल्क बोर्ड ने यह निर्णय लिया है कि विभाग को 100% ई-नियंत्रित बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए दिनांक 01.10.2011 से सभी एसेस मोड्यूल्स का अनिवार्य रूप से प्रयोग में लाया जाये। सभी उपभोक्ताओं के लिए यानि विभाग और निर्धारितियों के लिए एसेस मोड्यूल्स का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है।

In this connection, the trade is informed that the Central Board of Excise and Customs has taken a decision for mandatory usage of all ACES modules **w.e.f 1.10.2011** for realizing the goal of 100% e-governance in the department. The usage of ACES has been made mandatory by all the users, i.e., both departmental and the assessees.

03. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए व्यापारियों और आम लोगों से अनुरोध किया जाता है कि एसेस पर उपलब्ध निम्नलिखित मोड्यूल्स का उपयोग करें।

- > धन वापसी (REF)
- > अनंतिम निर्धारण के लिए अनुरोध (PRA)
- > निर्यात (EXP)
- > विवाद निवारण (DSR)
- > लेखा परीक्षा (AUD)

In view of the above, members of the trade and public are hereby requested to make use of the following modules available on ACES.

- > Refunds (REF)
- > Requests for provisional assessment (PRA)
- > Exports (EXP)
- > Dispute Resolution (DSR)
- > Audit (AUD)

सेवा डेस्क Service Desk

(1) एसेस एप्लिकेशन को प्राप्त करने या उसके प्रयोग करने में कोई कठिनाई हो तो निर्धारित एसेस सेवा डेस्क की सेवाएँ aces.servicedesk@icegate.gov.in में ई मेल भेजकर या राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर 1800 425 4251 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच किसी भी कार्य दिवस पर सुबह 9 बजे से सायं 7 बजे के बीच काल करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

(i) In case of any difficulty in accessing or using the ACES Applications, assessees can seek help of the ACES Service Desk by sending e-mail to aces.servicedesk@icegate.gov.in or calling up national toll free number 1800 425 4251 on any working day from Monday to Friday between 9AM and 7PM.

सहायता Help :

एसेस प्रमाणित सुविधा केन्द्रों (CFCs) के विवरण ACES वेबसाइट में CFC लिंक में उपलब्ध है। ये केंद्र ICAI, ICWAI, ICSI द्वारा गठित किया गया है, जिन्हें वैध प्रमाणपत्र का अनुभव है। ICAI, ICWAI, ICSI द्वारा गठित एसेस प्रमाणित सुविधा केन्द्रों (CFCs) के प्राधिकृत व्यक्ति और अन्य केंद्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क की ओर से और निर्धारितियों की ओर से ये कार्य कर सकते हैं। इस कार्य का उद्देश्य उन कर दाताओं को सेवा प्रदान करने की है, जिनके पास एसेस का प्रयोग करने के लिए आवश्यक आई टी सुविधा/ संसाधन नहीं है। एसेस में सेवाएँ जैसे कागजी दस्तावेजों का डिजिटल बनाना और पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र, विवरण, दावा, अनुमति और सूचना आदि को फाइल करना/ अपलोड करना आदि निर्धारित सेवा प्रभार देकर प्राप्त किया जा सकता है। एसेस में कार्य करने के लिए निर्धारितियों द्वारा प्राधिकृत CFCs निर्धारितियों के लिए एसेस में सभी कार्य कर सकते हैं।

(i) Details of the ACES Certified Facilitation Centers (CFCs) are available on CFC link in the ACES website. These centers have been set up by ICAI, ICWAI, ICSI, who have valid Certificates of Practice. Authorized persons of ACES Certified Facilitation Centers (CFCs), set up by ICAI, ICWAI, ICSI and others can work in ACES on behalf of Central Excise and Service Tax assessees. This initiative aims at providing services to tax payers who may not have requisite IT infrastructure/resources, to use ACES. The services would be available on payment of prescribed service charges for various services such as digitalization of paper documents and on-line filing/uploading of documents such as application for Registration, Returns, Claims, Permission and Intimations, etc., in ACES. These CFCs can perform all the functions in ACES on behalf of the assessees who authorize them to work in ACES.

(ii) <http://aces.gov.in>. वेबसाइट में "Help" लिंक पर क्लिक करके लेनिंग मैनेजमेंट सिस्टम (LMS) सुविधा प्राप्त किया जा सकता है। यह सिस्टम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (पंजीकरण, विवरण प्रस्तुत करना, दावा और सूचना, निर्यात, अनंतिम निर्धारण, धन वापसी, विवाद निवारण) और सेवा कर (पंजीकरण, विवरण प्रस्तुत करना, अनंतिम निर्धारण, धन वापसी, विवाद निवारण) आदि के लिए मार्गदर्शी है।

(ii) Learning Management System (LMS) facility can be accessed by clicking on the "Help" link on the website <http://aces.gov.in>. This system is a guide on Central Excise (Registration, Returns, Claims and Intimations, Exports, Provisional Assessment, Refunds, Dispute Resolution) and Service Tax (Registration, Returns, Provisional Assessment, Refunds, Dispute Resolution).

- (iii) "Help" लिंक पर उपलब्ध अन्य सुविधाएं FAQs on ACES और Brochure on ACES है।
(iii) Other features available on the "Help" link are FAQs on ACES and a Brochure on ACES.

किसी भी सूचना या स्पष्टीकरण के लिए व्यापारी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क व सेवा कर के क्षेत्राधिकार वाले उप/ सहायक आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क व सेवा कर के क्षेत्राधिकार वाले अधीक्षक से संपर्क कर सकते हैं।

For any other information or clarification, trade may contact the Jurisdictional Deputy/Assistant Commissioner of Central Excise & Service Tax or Jurisdictional Range Superintendent of Central Excise & Service Tax.

S.N. SAHA
30.12.11

(एस एन साहा S.N.SAHA)

आयुक्त COMMISSIONER

प्रति To:

वितरण सूची 1 के अनुसार As per Distribution List-I

फाइल सं. C.No.IV/16/18/2011-C.Ex.,Tech.II/Hyd.I) से जारी
(Issued from file C.No.IV/16/18/2011-C.Ex.,Tech.II/Hyd.I)